

न्यायालय :: श्री दीपक कुमार, प्रधान जिला न्यायाधीश, शिवहर

Probate Case No. 06/2018

O.S. 01/2019

(CNR No. BRSO01-000345-2018)

साजिद खॉआवेदक

बनाम्

अलाउद्दीन खॉ व अन्यविपक्षी

उपस्थित :- श्री दीपक कुमार,
प्रधान जिला न्यायाधीश,
शिवहर।

09.07.2026

आदेश

दिनांक—

09.07.2026

उभयपक्षों की ओर से कोई पैरवी नहीं की गई।

वाद पुकारा गया।

बार—बार पुकार पर उभयपक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए।

अभिलेख का परिशिलन किया। अभिलेख परिशिलन से स्पष्ट होता है कि उभयपक्षों की ओर से विगत कई तिथियों से लगातार कोई पैरवी नहीं की जा रही है। आवेदक को सक्षम पैरवी करने हेतु विगत कई तिथियों से निर्देशित किया गया परन्तु आवेदक की ओर से कोई पैरवी किया गया। इससे स्पष्ट है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः वाद समुचित पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

१५

प्रधान जिला न्यायाधीश,
शिवहर।

09.07.2026